केन्द्रीय सरकार ने क्या मानदण्ड निश्चित किए है ;

(ख) उपरोक्त मानदण्ड की दृष्टि से बिहार सरकार ने किन-किन जिलों की सिफारिश की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त मानदण्ड और बिहार सरकार की सिफारिश के विपरीत कोई निर्णय लेने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना बिहार के उपरोक्त जिलों में कब लागू की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के लिए राज्यों और जिलों के चुनाव हेतु केन्द्रीय सरकार ने जो मानदण्ड निश्चित किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) वे घनी आबादी वाले क्षेत्र ;

(2) वे क्षेत्र जिनमें आर्थिक दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग की प्रतिशतता अधिक है;

(3) वे क्षेत्र जिनमें मृत्यु दर अधिक होती है तथा जिसमें जच्चा बच्चा मृत्यु दर अधिक होती है ;

(4) वे राज्य/जिले जिनमें पहले मध्यम स्तर का कार्य हुआ है और जहां इसके अधिक स्वीकार किए जाने की संभावना है ;

(5) वे जिले जो सारे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें इस कार्यक्रम की सफलता राज्य के दूसरे जिलों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है । जिलों का चुनाव करते समय भोगोलिक सामीप्य और प्रशासनिक सुविधाओं जैसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है ताकि इस कार्यक्रम का प्रबन्ध और इसकी निगरानी कुशलतापूर्वक की जा सके ।

(ख) बिहार सरकार ने जिन जिलों के बारे में सिफारिश की है उनके नाम इस प्रकार है :—

1. सहरसा
2. पूर्णिया
3. कटिहार और
4. भागलपुर ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अभी तक इस परियोजना की मंजूरी नहीं दी गयी है । आशा है कि यह 1979–80 में शुरू हो सकेगी ।

Trade Union Representations in Indian Labour Conference and Convening its Meeting

732. SHRI SIVAJI PATNAIK: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question of trade union representations on the Indian Labour Conference;

(b) if so, Government's decision thereon; and

(c) when the meeting of the Indian Labour Conference will be convened?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b): Government had set up a 30-Member Tripartite Committee to go

inter-alia into the question of the composition of Indian Labour Conference. At the Committee's meeting in September 1977, the Members expressed their views on the subject of representation. Government has not yet taken a decision on this.

(c) No date has been fixed for convening the Indian Labour Conference.

Seizure of Adulterated Mustered Oil in Delhi

733. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether 127 tins of adulterated mustered oil have been seized in Delhi;

(b) the trade mark given on the containers; and

(c) The action taken against the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

Strike by Workers of India Explosives Limited Factory, Gomia (Bihar)

735. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether workers of the India Explosives Limited Factory at Gomia (Bihar) went on strike in September, 1977;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). The matter falls essentially in the State sphere. According to available information, the workers of Indian Explosives Limited, Gomia, Bihar, went on strike on September 20, 1977 in support of their charter of demands relating to reinstatement of dismissed workers, improvements in working conditions. etc. The strike was called off from October 26, 1977 at the intervention of the State Industrial Relations Machinery and the State Chief Minister.

सरकारी संस्थानों द्वारा बोनस का भुगतान

736. **श्री उग्रसेन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी संस्थानों के नाम क्या हैं जिनमें बोनस का भुगतान करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) रेल, संचार, आकाशवाणी, टेलीविजन और 'परिवहन विभागों' में बोनस न देने का निर्णय करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी बिभाग के प्राधिकरण पर